Amar Ujala
Delhi, 10th April 2014, Page-10

जून में होगी बाल आयोग के सदस्यों की नियुक्ति

नई दिल्ली (ब्यूरो)। बाल आयोग के सदस्यों का खाली पद आखिरकार जून में भर जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चयन प्रक्रिया में बदलाव कर नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय की ओर से मंगलवार को इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की गई। हालांकि नियुक्ति के तौर तरीकों में विशेष बदलाव नहीं किया गया है लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि बाल आयोग के चेयरपर्सन और सदस्यों के पद कैबिनेट सचिव और सचिव के समकक्ष भविष्य में नहीं रह जाएंगे। नए बदलाव के बाद आयोग के चेयरपर्सन का वेतनमान और भत्ता मंत्रालय के सचिव के बराबर होगा। वहीं सदस्यों का वेतन व भत्ता अतिरिक्त सचिव के सम तुल्य होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वेतन में बदलाव होने के बावजूद फिलहाल इनकी शक्तियां कम नहीं की जाएंगी।